

Maa Pitambara Paramedical College

Add.:- Ujjain Road Near Radha Swami Satsang Bhawan, Agar Malwa MP

पत्र क्र. MPP/58.6/2025

दिनांक : 07/07/2025

अधिसूचना

मां पीतांबरा पैरामेडिकल कॉलेज, आगर मालवा में सत्र 2023-24 में अध्ययनरत ST, SC वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके आवास के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अपना आवेदन ऑनलाइन से भरवाकर कॉलेज में आकर सभी दस्तावेजों के साथ दिनांक 10 जुलाई 2025 तक सत्यापित करवाएं।

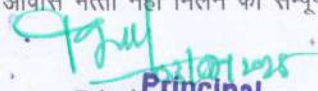
आवास सहायता योजना 2023-24

दस्तावेजों की सूची:-

1. 10 वी, 12वीं एवं अर्हतादायक परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित प्रति।
2. पूर्व परीक्षा का परिणाम 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
3. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
4. आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
5. प्रवेश शुल्क की सत्यापित प्रति।
6. महाविद्यालय परिचय पत्र की सत्यापित प्रति।
7. मकान मालिक का सहमति पत्र एवं उनका वोटर आईडी/आधार कार्ड की छायाप्रति।
8. पालक का आगर शहर में आवासिय निवास न होने का घोषणा पत्र एवं पालक का आधार कार्ड और वोटर कार्ड की छाया प्रति।
9. आवेदक का स्वघोषणा पत्र/वोटर आईडी/आधार कार्ड की छायाप्रति।
10. आवेदक का खाता क्रमांक एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति।
11. बैंक पासबुक बैंक ऑफ इण्डिया या भारतीय स्टेट बैंक की होनी चाहिए।
12. राशन कार्ड तथा समग्र आईडी की फोटो कॉपी।
13. प्रोफाईल पंजीयन।
14. विद्यार्थी सभी दस्तावेजों की छायाप्रति पर स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे।
15. विद्यार्थी का खाता NPCI Active होना अनिवार्य है। (गुगल पर NPCI Status प्रक्रिया द्वारा चेक करके उसकी स्क्रीन शॉट की प्रिन्ट आउट देवे।
16. विद्यार्थी अपना और मकान मालिक का मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से लिखवाये।
17. अनुसूचित जाती के विद्यार्थी हेतु मकान किराये का अनुबंध पत्र अनिवार्य रूप से 500/-
18. मकान मालिक द्वारा किरायेदार के रहने की थाने पर सूचना की छायाप्रति।
19. मकान किराया रसीद।

नोट- आवास योजना आवेदन लेने के बाद सभी अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन करे कि विद्यार्थी का आवेदन में दिए गए निवास स्थान पर रह/रहा है या नहीं यदि जांच करने के बाद पाया जाता है कि विद्यार्थी ने गलत जानकारी दी है वह आवेदन में दिए गए पते पर निवास नहीं कर रहा है। ऐसे विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसे महाविद्यालय से बर्खास्त किये जाने की अनुशंसा करे।

आवास दस्तावेज का सत्यापन समय 11 से 4 बजे तक द्वारा किया जायेगा। दस्तावेज में कमी होने पर आवास भत्ता नहीं मिलने की सम्पूर्ण जवाबदेही स्वयं छात्र की होगी।


Principal
Maa Pitambara Paramedical College
Agar Malwa (M.P.)